रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122020-223478
CG-DL-E-04122020-223478

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3813] नई दिल्ली, बुहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 2020/अग्रहायण 12, 1942
No. 3813] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 2020/AGRAHAYANA 12, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2020

का.आ. **4351(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा सिक्किम राज्य के साउथ डिस्ट्रिक्ट जिले में NH 510 के कि.मी. 32.500 से कि.मी. 33.600 (जिला कलेक्टर नामची) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख *3अक्टूबर, 2020को "समिट टाइम्स"* और "*हाम्रो प्रजासक्ति*" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

सिक्किम राज्य के साउथ डिस्ट्रिक्ट जिले में **NH 510** के कि.मी. **32.500** से कि.मी. **33.600** (जिला कलेक्टर नामची) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: सिक्किम		**जिले का नाम: साउथ डिस्ट्रिक्ट**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: राबोंगला				
	गांव का नाम: राबोंगला टाउन				
1	2092	सरकारी	ड्राई	0.054	एनिमल हसबेंडरी डिपार्टमेंट (२०९२)
2	2096	निजी	ड्राई	0.0008	लाल बहादुर प्रधान (२०९६)
3	2097/2139	निजी	ड्राई	0.0005	कर्मा राब्तेनलिंग मोनेस्ट्री (२०९७/२१३९)
4	2098	निजी	ड्राई	0.0001	डॉ कुमार चेट्री (२०९८)
5	569	निजी	ड्राई	0.0002	कर्मा राब्तेनलिंग मोनेस्ट्री (५६९)
			कुल	**0.0556**	

[फा. सं. NHIDCL/PMU-SKM/Ravangla-Legship/2020-21/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2020

S.O. 4351(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said

notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 510 on the stretch of land from Km. 32.500 to Km. 33.600 (District collectorate South Sikkim Namchi) in the district of SOUTH DISTRICT in the State of SIKKIM.

And whereas the substance of the said notification has been published in "*Summit TIMES*" and "*Hamro Praja Shakti*" both dated *03 October 2020*; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 510 in the stretch of land from NH 510 (District collectorate South Sikkim Namchi) in the district of SOUTH DISTRICT in the state of SIKKIM.

State: SIKKIM		**District: SOUTH DISTRICT**			
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Rabongla				
	Village: Rabongla Town				
1	2092	Government	Dry	0.054	ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT 2092
2	2096	Private	Dry	0.0008	LALL BAHADUR PRADHAN 2096
3	2097/2139	Private	Dry	0.0005	KARMA RABTENLING MONESTRY 2097/2139
4	2098	Private	Dry	0.0001	DEO KUMAR CHETTRI 2098
5	569	Private	Dry	0.0002	KARMA RABTENLING MONESTRY 569
			TOTAL	**0.0556**	

[F. No. NHIDCL/PMU-SKM/Ravangla-Legship/2020-21/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM